(2008) 11 एस. सी. आर 586

हरियाणा राज्य

बनाम

माई राम पुत्र मैम चंद

(आपराधिक अपील संख्या 211/2001)

31 जुलाई, 2008

(डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा, जे. जे.)

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 17 और 50।

तलाशी-संदेह के आधार पर- अभिनिर्धारित: विधि में अभियुक्त के बारे में संदेह करने हेतु विस्तृत कारण लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है।

जब्ती- प्रतिबंधित वस्तु की- केवल पुलिस अधिकारी, बयान गवाह 1 और 2 का गवाह के रूप में परीक्षित किया गया- उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष उन व्यक्तियों का परीक्षण नहीं करने से कमजोर था, जो अधिकारिक गवाह नहीं थे- शुद्धता की- अभिनिर्धारित: सही नहीं, क्योंकि अधिकारिक गवाहों की साक्ष्य को अविश्वसनीय करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है और इसके अतिरिक्त बयान गवाह 1 और 2 ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई अन्य व्यक्ति गवाह के रूप में गवाही देने को तैयार नहीं था।

जब्ती- प्रतिबंधित वस्तु की- अभियुक्त की बैग की तलाशी लिये जाने के पश्चात- उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था- शुद्धता की- अभिनिर्धारित: सही नही- धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होता है- यह किसी वाहन या पात्र या थैले या परिसर की तलाशी के लिए लागू नहीं होता है- धारा 50 की भाषा से परोक्ष रूप से स्पष्ट है कि तलाशी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए, ना कि परिसरों वाहनों या वस्तुओं की। इसलिए, माननीय उच्च न्यायालय का धारा 50 की गैर अनुपालना के संबंध में दिया गया निष्कर्ष निराधार है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब प्रत्यार्थी ट्रेन से उतरा पुलिस अधिकारियों ने उसे संदेह के आधार पर रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया और तत्पश्चात तलाशी लेने पर प्रत्यार्थी के थैले से लगभग डेढ़ किलोग्राम प्रतिबंधित वस्तु (अफीम) जब्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पाया की प्रत्यार्थी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 17 के तहत दोषी है और उसे 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। अपील में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्त को बरी करने का निर्देश दिया कि धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था, प्रत्यार्थी के कब्जे में अफीम होने के संदेह के बारे में विस्तृत कारण दर्ज नही किये गये थे, हालांकि बरामदगी कथित रूप से रेलवे स्टेशन पर की गई थी और कई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध होंगे, लेकिन केवल दो पुलिस अधिकारियों बयान गवाह 1 और 2 परिक्षित हुए थे और इसके अतिरिक्त यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नही थी की नमूनों की मुहरे अक्षुण्ण थी।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी- राज्य ने तर्क दिया कि अधिनियम धारा

50 लागू नहीं होती है, क्योंकि व्यक्तिगत तलाशी का कोई प्रश्न नहीं था और तलाशी अभियुक्त के थैले की थी; कि संदेह के कारणों को दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी; केवल इसलिए कि पुलिस अधिकारी ही गवाहान के रूप में परिक्षित हुए थे, मात्र यह अभियोजन पक्ष पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है और अंत में गवाहों की परीक्षा के दौरान ऐसा कोई सुझाव ही नहीं था कि मुहरे अक्षुण्ण नहीं थी इसलिए, उच्च न्यायालय का तर्क और निष्कर्ष संधारणीय नहीं हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विस्तार से बताता हो की एक आरोपी के बारे में संदेह करने हेतु ले जाई जा रही प्रतिबंधित वस्तुओं को दर्ज किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि संदेह का कारण दर्ज नहीं किया गया था। [पैरा 8] [591-जी-एच]

2. बचाव पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाई गई जो अधिकारिक गवाहो को अविश्वसनीय साबित करे। एक सामयिक प्रश्न यह है कि क्या अधिकारिक गवाह की साक्ष्य में कोई खामी/त्रुटि रही है। मौजूदा मामले में इस प्रकार की किसी भी चीज को ईंगित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बयान गवाह 1 और 2 ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई अन्य व्यक्ति गवाह के रूप में गवाही देने को तैयार नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में स्पष्ट रूप से गलत था कि अभियोजन पक्ष का मामला उन व्यक्तियों की गैर-परीक्षा के कारण कमजोर हो गया, जो सरकारी गवाह नहीं थे।[पैरा 8] [592-ए-बी]

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि मुहरें अक्षुण्ण थी, जैसा कि

अधिकारिक गवाहों द्वारा गवाही दी गई थी। उच्च न्यायालय सीधे ही इस निष्कर्ष पर आया कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी कि मुहरे अक्षुण्ण थी। जैसा कि राज्य द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था और इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने पाया कि अधिकारिक गवाहों की साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि मुहरें अक्षुण्ण थीं।[पैरा 9, 10] [592-सी-डी]

4. जहां तक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 की प्रयोज्यता का संबंध है, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं है। धारा 50 को केवल पढ़ने मात्र से यह दर्शित होता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में ही लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। धारा 50 की भाषा से यह स्पष्ट है कि तलाशी किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए, न कि किसी परिसर, वाहन या सामान के संबंध में। उपरोक्त स्थिति होने के कारण, धारा 50 की गैर-अनुपालना के संबंध में दिया गया निष्कर्ष निराधार है। [पैरा 11, 12, 13] [592-डी-ई-593-बी-सी]

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172 अनुसरण किया गया।

कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य जेटी (1999) 8 एससी 293 और गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2001) 3 एससीसी 28- पर भरोसा किया गया।

मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 6 सुप्रीम 382- संदर्भित किया।

संदर्भित न्यायिक दृष्टान्त

जेटी (1999) 8 एससी 293	भरोसा किया	पैरा 12
(1999) 6 एससीसी 172	अनुसरण किया	पैरा 12
(2001) 3 एससीसी 28	भरोसा किया	पैरा 12
(2003) 6 सुप्रीम 382	संदर्भित	पैरा 12

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारःआपराधिक अपील संख्या 211/2001।

उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा, चण्डीगढ़ की 1988 की एकलपीठ की आपराधिक अपील संख्या 538 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 02.12.1999 के विरूद्ध।

अपीलार्थी की ओर से नरेश बख्शी और टी.वी. जॉर्ज।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रेम मल्होत्रा।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में चुनौती पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को है, जिसमें प्रत्यर्थी (यहां इसके बाद 'अभियुक्त के रूप में संदर्भित) को बरी करने का निर्देश दिया गया है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ।।।, हिसार द्वारा अभियुक्त को नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस अधिनियम') की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया। उन्होंने अभियुक्त को अधिनियम की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया और 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।

2. मुकदमे को जन्म देने वाली पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:-

3.1.1988 को, सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, एएसआई राम किशन और 3 कोन्स्टेबल्स के साथ रेलवे पुल के पास प्लेटफार्म नंबर 3 पर मौजूद थे। रात करीब साढ़े आठ बजे एक ट्रेन सादलपुर की ओर से आई, उस समय चंदगीराम पीडब्लू भी पुलिस पार्टी के साथ था। आरोपी माई राम उस ट्रेन से उतरा और इंजन की ओर चलने लगा। उसके दाहिने हाथ में एक बैग (प्रदर्श पी 1) था। संदेह होने पर उसे रोका गया। सबसे पहले, सब इंस्पेक्टर ने उसे एक प्रदर्श पी A दिया और उसे बताया कि उसे (एस.आई. को) संदेह है कि वह (आरोपी) अफीम और गांजा आदि जैसी कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं ले जा रहा है और यदि वह (आरोपी) चाहे तो उसकी तलाशी मैजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। लेकिन अभियुक्त ने लिखित में दिया कि वह (एस.आई.) स्वयं उसकी तलाशी ले सकता है और अभियुक्त ने इस आशय का एक पृष्ठांकन प्रदर्श पी ए/1 भी बनाया। फिर सब इंस्पेक्टर ने आरोपी की तलाशी ली और उसके बाद आरोपी द्वारा ले जाए गए बैग (प्रदर्श पी1) की तलाशी ली, जिसमें 1-1/2 किलोग्राम अफीम बिना किसी लाईसेंस या परमिट के था। एस.आई. ने बरामद अफ़ीम में से 25 ग्राम अफ़ीम को नमूने के तौर पर लिया तथा शेष अफ़ीम को टिन के डिब्बे (प्रदर्श पी-2) में डाल दिया। तब उसने नमूना और टिन-बॉक्स (प्रदर्श पी-2) को (आईएस) सील से सील कर दिया और उपयोग के बाद सील चांदी राम को दे दी गई। बयान गवाहों द्वारा सत्यापित ज्ञापन प्रदर्श पी 3 के जरिए वस्तुओं को कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद, आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी ली गई और उसके कब्जे से एक टिकट प्रदर्श पी 3 और 45/- रुपये की नकद राशि भी बरामद की गई, जिसे बयान गवाह और अंगूठे द्वारा सत्यापित बरामदगी मेमो प्रदर्श पी सी के जरिए कब्जे में लिया

गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताने के पश्चात् गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्श पी डी को पुलिस थाने भेजा गया, जिसके आधार पर औपचारिक एफ.आई.आर./प्रदर्श पी.डी/1 दर्ज की गई। सही सीमांत नोट्स के साथ रफ साइट प्लान प्रदर्श पी ई तैयार किया गया। गवाहों के बयान दर्ज किये गये। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद, केस संपत्ति को सील के साथ एमएमसी के पास जमा कर दिया गया। एस.आई. ने भी फोन पर डीवाइ एस.पी. को अफिम की बरामदगी के संबंध में सूचित किया। जांच के बाद, उपनिरीक्षक ईश्वर सिंह ने अभियुक्त का चालान कर दिया।

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित कर दिया और तद्नुसार दोषी ठहराया ओर उपरोक्तानुसार सजा दी।

4. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली कि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। यह ध्यान दिया गया कि अभियुक्त के पास अफ़ीम होने के संदेह के बारे में विस्तृत कारण दर्ज नहीं किए गए थे। यह भी ध्यान दिया गया कि रेलवे स्टेशन पर बरामदगी की गयी थी और कई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध होंगे। लेकिन केवल पुलिस अधिकारियों की जांच बयान गवाह 1 और 2 के रूप में की गई। यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं थी कि मुहरें अक्षुण्ण थीं।

5. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान अभियुक्त ने तर्क दिया कि धारा 50 की कोई प्रायोज्यता नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत तलाशी का कोई सवाल ही नहीं था और तलाशी उस बैग की थी जो अभियुक्त द्वारा ले जाई जा रही थी। इसके अतिरिक्त, कानून में संदेह के कारणों को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, आरोपी को

तब पकड़ा गया जब वह रात के करीब साढ़े आठ बजे रेलवे स्टेशन पर उतरा था। बयान गवाह 1 और 2 ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी अन्य व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं था। केवल इसलिए कि आधिकारिक गवाहों से पूछताछ की गई, यह अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता। गवाहों की जांच के दौरान ऐसा एक भी सुझाव नहीं था कि मुहरें अक्षुण्ण नहीं हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय के तर्क और निष्कर्ष संधारणीय नहीं हैं।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थी वर्तमान में लगभग 70 वर्ष का है। बरामद की गई मात्रा करीब डेढ़ किलो बताई गई है। इसके बाद, इसमें संशोधन किया गया और अधिसूचना दिनांकित 2.10.2001 द्वारा वाणिज्यिक मात्रा 2.5 किलोग्राम है।

7. यह प्रस्तुत किया गया है कि 20 वर्षों के बाद, और पहले से ही कुछ वर्ष की हिरासत का सामना करने के बाद, प्रत्यर्थी को हिरासत में आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया गया था और भले ही अधिनियम की धारा 50 के संदर्भ में नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कोई व्यक्तिगत खोज नहीं की गई थी, अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रतिबंधित वस्तुए ले जाने वाले किसी अभियुक्त के बारे में संदेह जताने के लिए विस्तृत कारण दर्ज किए जाए। उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट रूप से गलती की कि संदेह का कारण दर्ज नहीं किया गया था। जहां तक केवल आधिकारिक गवाह की जांच का सवाल है, यह ध्यान

दिया जाना चाहिए कि एकमात्र स्वतंत्र गवाह जिसका जब्ती के बारे में परीक्षण किया गया उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। सरकारी गवाहों की साक्ष्य को अविश्वसनीय करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सरकारी गवाह की साक्ष्य में कोई खामी/त्रुटि है। मौजूदा मामले में प्रकृति की कोई भी बात इंगित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा ब्यान गवाह 1 और 2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी अन्य व्यक्ति गवाह के रूप में गवाही देने को तैयार नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय यह मानने में स्पष्ट रूप से गलती कर रहा था कि अभियोजन कहानी उन व्यक्तियों की गैर-परीक्षा के कारण कमजोर हो गई जो अधिकारिक गवाह नहीं थे।

9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने पाया कि मुहरें आधिकारिक गवाहों की गवाही के अनुसार अक्षुण्ण थीं। उच्च न्यायालय अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मुहरें अक्षुण्ण थीं।

10. जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया और इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने पाया है कि आधिकारिक गवाहों की साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि मुहरें अक्षुण्ण थीं।

11. जहां तक धारा 50 की प्रयोज्यता का संबंध है, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं है। धारा 50 इस प्रकार है:

"50. शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगीः -

(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला

है, तो वह, यदि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक देरी के बिना ऐसा कोई विभाग जो धारा 42 में उल्लेखित है कि किसी निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाएगा या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सके।

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके सामने ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि उसे तलाशी के लिए कोई युक्तियुक्ति आधार नहीं दिखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगा, लेकिन अन्यथा निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) एक महिला को छोड़कर किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।"

12. धारा 50 को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। (कालेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (जेटी 1999 (8) एससी 293), पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999 (6) एससीसी 172) और गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2001 (3) एससीसी 28 को देखें)। धारा 50 की भाषा से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की होनी चाहिए न कि किसी व्यक्ति के संबंध में। बलदेव सिंह के मामले में संविधान पीठ द्वारा इस स्थिति को संदेह से परे तय किया गया था। इसी तरह के प्रश्न की जांच मदन लाल

और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003 (6) सुप्रीम 382) में की गई थी।

13. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, अधिनियम की धारा 50 के गैर-अनुपालन के संबंध में निष्कर्ष भी बिना किसी आधार के है।

14. किसी भी कोण से देखने पर उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाता है।

15. प्रत्यर्थी को शेष सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

(अपील स्वीकार की जाती है)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी ज्योति देवी शर्मा, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।